

अब तक 143 हेरटिज संपत्तियों को प्रमाण-पत्र जारी

चर्चा में क्यों?

18 अप्रैल, 2022 को वशिव धरोहर दविस के अवसर पर राजस्थान पर्यटन वभाग की नदिशक डॉ. रश्मिशर्मा ने बताया कि पर्यटन वभाग द्वारा अभी तक 143 हेरटिज संपत्तियों को प्रमाण-पत्र जारी किये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- ये हेरटिज संपत्तियाँ देशी-वदेशी पर्यटकों के साथ-साथ डेस्टिनेशन वेडिंग और फ़िल्म शूटिंग लोकेशन के रूप में बहुत लोकप्रिय हैं, साथ ही वभागीय वेबसाइट के माध्यम से इन संपत्तियों का प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा।
- इन हेरटिज होटलों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के परलाभ, जैसे- संपरिवर्तन शुल्क, आबकारी बार लाइसेंस शुल्क, स्टांप ड्यूटी और शहरी विकास कर में छूट इत्यादि उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।
- प्रदेश में स्थापत्य वरासत के रूप में कल्लि, महल, हवेलियाँ इत्यादि बहुतायत में उपलब्ध हैं, इन पुरासंपत्तियों में से ज़्यादातर संपत्तियाँ नज़ी स्वामित्व में हैं, जिनका संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता है।
- राज्य सरकार द्वारा नज़ी स्वामित्व की हेरटिज संपत्तियों के संरक्षण और इन संपत्तियों के हेरटिज होटल एवं अन्य पर्यटन इकाइयों के रूप में उपयोग को बढ़ावा देने के लिये हेरटिज प्रमाण-पत्र प्रदान करने की योजना लागू की गई, जसि जुलाई 2021 में नविशकों के अनुरूप सरलीकृत किया गया है।
- देश भर में संचालित हेरटिज होटलों में से दो-तहियाँ से अधिक हेरटिज होटल राजस्थान राज्य में हैं। पर्यटन वभाग द्वारा राजकीय संपत्तियों को भी हेरटिज प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।
- उल्लेखनीय है कि प्रतविरष 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरटिज डे अर्थात् वशिव धरोहर दविस को संस्कृति और वरासत को बढ़ावा देने के लिये मनाया जाता है, साथ ही यह दविस देश-प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने, उनके सवर्द्धन और संरक्षण के प्रतिलोगों को जागरूक करने के लिये मनाया जाता है, ताकलोग अपनी संस्कृति और परंपरा को करीब से समझ सकें।